ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांकः—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 2091-96 दिनांकः— 20-04-2026

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत नर्सिंग आफिसर भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जिनका भर्ती परिणाम रोका हुआ था, का नीचे दी गई सारणी में दिये गये कारणों के अनुसार अंतिम चयन नहीं किया जा सकता है। निम्नांकित सारणी में सम्मिलित समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि इस सूची के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में यदि उनकी कोई परिवेदना है तो रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 दिवस में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

S.NO.	Applicant Name	Application ID	Father's Name	अंतिम चयन नही किये जाने का कारण
1	Pushpendra Kumar Rathore	NO199981	VIMAL KUMAR RATHOR	संस्थान के पत्र कमांक 7517–21 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत नर्सिंग आफिसर पद के अभ्यर्थी श्री पुष्पेन्द्र कुमार राठौड के अनुभव प्रमाण पत्र के फर्जी होने के सम्बंध में सुभाष निनामा द्वारा ईमेल से दिनांक 03.04.2025 को निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर को शिकायत प्रेषित की जो कि निदेशक (अराजपत्रित) के द्वारा दिनांक 03.04.2025 को ईमेल के माध्यम से संस्थान में प्राप्त हुई। जिसके तहत् संस्थान द्वारा उक्त अभ्यर्थी के पदस्थापन रोके जाने हेतु निदेशक (अराजपत्रित) निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द को अभ्यर्थी की अनुभव अवधि के दौरान की मूल उपस्थिति पंजिका उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा उपलब्ध करवाई गई मूल उपस्थिति पंजिका में काट–छांट किया जाना पाया गया।
2	Rituraj Rao	NO191584	KAILASH CHAND RAO	नर्सिंग आफिसर पद के अभ्यर्थी श्री ऋतुराज राव के सम्बंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ के पत्र कमांक 3004 दिनांक 9.6.2025 के अनुसार खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेगूं के पत्र कमांक 391 दिनांक 6.5.2025 के प्रतिउत्तर में श्री परमात्मा चन्द भण्डारी चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर ने अपने पत्र कमांक 678 दिनांक 7.5.2025 द्वारा अवगत कराया है कि ऋतुराज राव नाम के किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा अनुभव जारी नहीं किया गया है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पूर्णतः कूटरचित बताया है एवं इसी कम में बीसीएमओ बेगूं द्वारा पत्र कमांक 462 दिनांक 2.6.2025 के द्वारा ऋतुराज राव को दिनांक 1.5.2021 से 14.5.2021 तक 14 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं पुर्नसत्यापन प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है।

for निदेशक

क्रमांकः—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 2091-96 दिनांकः— 20-04-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर को लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को जारी अनुभव प्रमाण पत्र के सम्बंध में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने का श्रम करवायें।
5. निजी / रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

Phone (O) 0141-2701938 Telefax(Dir) : 2706534
www.sihfwrajasthan.com E-mail: sihfwraj@ymail.com